न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/22/2019

उनवान

1. जमना लाल पिता गोपाल जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. हीरा पिता गोपाल जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा
2. परसा पिता गोपाल जाट निवासी रूपाहेली
3. सोहनी पिता गोपाल जाट निवासी रूपाहेली
4. संतोक पिता गोपाल जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 25/17 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री अम्बा लाल कुमावत, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री एम एल सेन, प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री मुकेश धोबी, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4
4. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 स्व0 गोपाल जाट के विधिक वारिसान हैं एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता गोपाल, मगना सगे भाई थे जिनके पिता स्व0 रामा जी थे। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता गोपाल एवं मगना के बीच दौराने भूप्रबन्ध (सेटलमेण्ट) के विभाजन हो गया एवं विभाजन के बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को स्व0 गोपाल से विरासत में खाता संख्या 16 जिसमें 28 बीघा 06 बिस्वा आई। गोपाल के खाता संख्या 255 जिसमें 28 बीघा 18 बिस्वा दर्ज है । जिसमें आराजी नम्बर 1907 रकबा 16 बिस्वा क्रय की हुई है । हाल जमाबंदी संवत 2068–2071 में इसका अंकन है। आराजी नम्बर 1908 रकबा 2 बिस्वा आराजी नम्बर 1909 रकबा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 1910 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 07 बिस्वा आराजी दौराने भू प्रबन्ध वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से रह गई। जबकि उक्त आराजी भू प्रबन्ध से पूर्व वादी के नाम पर दर्ज थी जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर पुनः वादी के नाम पर दर्ज कराई जावे।

2. दौराने भू प्रबन्ध हाल आराजी नम्बर 1908 रकबा 2 बिस्वा आराजी नम्बर 1909 रकबा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 1910 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 07 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होकर बिलानाम दर्ज कर दी गई है। जबकि उक्त आराजियात पर कब्जाकाश्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का चला आ रहा है। जबकि आराजी नम्बर 1907 के पास ही उक्त आराजियात स्थित है। खसरा मिलान (मिलान क्षैत्रफल) के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1252 के नवीन आराजी नम्बर 1907 कायम हुए एवं आराजी नम्बर 1252 के नवीन आराजी नम्बर 1908 रकबा02 बिस्वा कायम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हुए । आराजी नम्बर 1257 के नवीन आराजी नम्बर 1909 रकबा 03 बिस्वा एवं साबिक आराजी नम्बर 1257 के नवीन आराजी नम्बर 1910 कायम हुए । उक्त आराजी वादी के पूर्वज रामा पिता नारायण से मगना पिता रामा, गोपाल पिता रामा के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी जो भू प्रबन्ध के दौरान राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से वादी के नाम पर दर्ज नही हुई।

3. अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 5 इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे कि ग्राम रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा की साबिक आराजी नम्बर 1252, 1257 के नवीन आराजी नम्बर 1908, 1909, 1910 रकबा 07 बिस्वा की इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादी दखलन्दाजी , रूकावट, बाधा उत्पन्न नहीं करें वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे वादी को बेदखल नहीं करे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प दरीबा में पारित की गई थी। लेकिन उसके बाद पत्रावली की काफी खोजबीन की परन्तु नहीं मिली । पत्रावली मिलने के उपरान्त दिनांक 22.1.2019 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । निर्णय

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की प्रति प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलीम्ब को क्षम्य जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को आंशिक स्वीकार करते हुए आराजी नम्बर 1908 का तो वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया परन्तु लेकिन हाल आराजी नम्बर 1909, 1910 की इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का वाद खारिज किया गया था । जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के दादा रामा वल्द नारायण के नाम साबिक आराजी नम्बर 1252, 1254, 1257, 1265 संवत 2032 में दर्ज थी। जिसके हाल आराजी संख्या 1908, 1909, 1910 कुल किता 3 कुल रकबा 7 बिस्वा दौराने सेटलमेण्ट अपीलाण्ट वादी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से रह गई। हाल आराजी नम्बर 1908, 1909, 1910 को राजस्व रेकार्ड में भू प्रबन्ध के दौरान बिलानाम दर्ज कर दी गई है। जो बदर संख्या 59 खसरा परिशोधन पत्र से साबित होती है। उक्त दोनों नम्बरों की इन्द्राज दुरूस्ती वादी अपीलाण्ट के पक्ष में नही करने में भारी भूल की गई है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन नहीं किया है एवं न ही प्रस्तुत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दस्तावेज बाबत समुचित विवेचन ही किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आराजी नम्बर 1908, 1909, 1910 कुल किता 3 रकबा 07 बिस्वा का अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि हाल आराजी नम्बर 1908, 1909, 1910 कुल किता 3 रकबा 07 बिस्वा का अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे।

10. प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. अपीलार्थी का यह निवेदन है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 स्व0 गोपाल जाट के विधिक वारिसान हैं एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पिता गोपाल, मगना सगे भाई थे जिनके पिता स्व0 रामा जी थे। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता गोपाल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं मगना के बीच दौराने भूप्रबन्ध (सेटलमेण्ट) के विभाजन हो गया एवं विभाजन के बाद अपीलार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को स्व0 गोपाल से विरासत में खाता संख्या 16 जिसमें 28 बीघा 06 बिस्वा आई। गोपाल के खाता संख्या 255 जिसमें 28 बीघा 18 बिस्वा दर्ज है । जिसमें आराजी नम्बर 1907 रकबा 16 बिस्वा क्रय की हुई है । हाल जमाबंदी संवत 2068–2071 में इसका अंकन है। आराजी नम्बर 1908 रकबा 2 बिस्वा आराजी नम्बर 1909 रकबा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 1910 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 07 बिस्वा आराजी दौराने भू प्रबन्ध वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से रह गई। आराजी नम्बर 1908, 1909, 1910 के साबिक आराजी नम्बर 1252, 1254, 1257, 1265 है जो कि भू प्रबन्ध से पूर्व मगना पिता रामा जाट के नाम पर दर्ज थी जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर पुनः अपीलार्थी के नाम पर दर्ज कराई जावे ।

13. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न खसरा जो कि भू प्रबन्ध (सेटलमेण्ट) विभाग का होकर संवत 2025 –2026 का है। जिसके अनुसार 1252 मगना पिता रामा जाट के नाम पर दर्ज है। साबिक आराजी नम्बर 1252 के हाल आराजी नम्बर 1907 एवसं 1908 बने है। जिसकी खातेदारी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी को प्रदान कर दी गई है। अब रही शेष हाल आराजी नम्बर 1909 एवं 1910 जिसकी खातेदारी अपीलाण्ट चाहता है एवं उसका

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कथन है कि इसके साबिक आराजी नम्बर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के पूर्वज मगना वल्द रामा की रही है। हाल आराजी नम्बर 1909 एवं 1910 जिसकी खातेदारी अपीलार्थी को प्रदान की जावे । खसरा पत्रक 2025–2026 में हाल आराजी नम्बर 1909 के साबिक आराजी नम्बर 1255 अंकित है एवं आराजी नम्बर 1910 के भी साबिक आराजी नम्बर 1255 अंकित है। उक्त साबिक आराजी नम्बर 1255 भू प्रबन्ध से पूर्व भी बिलानाम सिवायचक दर्ज थी एंव भू प्रबन्ध के बाद भी इनके हाल आराजी नम्बर 1909 एवं 1910 को भी बिलानाम सिवायचक दर्शाया गया है। अपीलार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि हाल आराजी नम्बर 1909 उपं 1910 के साबिक आराजी नम्बर उनके पूर्व मगना वल्द रामा के नाम पर रहा हो। हाल आराजी नम्बर 1908 जिसके साबिक नम्बर 1254 जो कि भू प्रबन्ध से पूर्व रामा पिता नारायण के नाम दर्ज थी जिसे मगना पिता रामा के नाम दर्ज किया गया है। जिसकी खातेदारी अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा दी जा चुकी है। जिस आराजी नम्बर 1909 एवं 1910 की खातेदारी अपीलार्थी चाहता है उसके साबिक आराजी नम्बर मगना पिता रामा जाट के नाम पर दर्ज नही होकर बिलानाम सिवाय चक दर्ज होने से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सही इन्द्राज किया गया है। अपीलार्थी अपने कथनों को साबित नहीं करा पाया है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में संलग्न दस्तोवजात का अवलोकन कर बाद विचारण जो निर्णयपारित किया है वह विधिसम्मत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

14. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6.2018 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

15. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/19

भू प्रबन्ध प्राधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/22/2019

उनवान

1. जमना लाल पिता गोपाल जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. हीरा पिता गोपाल जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा
2. परसा पिता गोपाल जाट निवासी रूपाहेली
3. सोहनी पिता गोपाल जाट निवासी रूपाहेली
4. संतोक पिता गोपाल जाट निवासी रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 25/17 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6.2018

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/22/2019** मे **उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 28.6.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री अम्बा लाल कुमावत वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री एम एल सेन एवं राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 28.6.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.6.2018 को यथावत रखा जाता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

28/6/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)